54

XXXIX(a)BR(H)-11 **राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर**

जिला – छतरपुर

प्रकरण कमांक विविध 2500–तीन/14

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
16.3.15	प्रकरण का अवलोकन किया एवं आवेदक अधिवक्ता द्वारा ग्राह्यता के बिंदु पर दिए गए तर्कों पर विचार किया । यह प्रकरण आवेदकों द्वारा उन्हें भूमि विक्रय की अनुमति देने के संबंध में है । उनका कहना है कि बार–बार निवेदन करने पर जिलाध्यक्ष न्यायालय में उनके आवेदन पर विचार नहीं हो रहा है, इस कारण उन्होंने इस न्याालय से अनुमति चाही है । आवेदक द्वारा अनुमति लिया गया आधार मानने योग्य नहीं है क्योंकि जो आवेदन उसने लगाया है वह दिनांक 29–4–14 को अधीनस्थ न्यायालय में लगाया है और इसके बाद क्या कार्यवाही आवेदन पर हुई इसका कोई प्रमाण पेश नहीं किया गया है । चूंकि अनुमति संबंधी निर्णय सर्वप्रथम अधीनस्थ न्यायालय को करना है ऐसी स्थिति में यह प्रकरण इस निर्देश के साथ अग्राह्य की जाती है कि अधीनस्थ न्यायालय आवेदक द्वारा प्रस्तुत आवेदन पर विधिनुसार सुनवाई कर निर्णय 3 माह में पारित करें । सदस्य	

न्यायालय श्री मान् राजस्व मण्डल ग्वालियर, संभाग ग्वालियरम.प्र.।

प्र.क्र./ /मिस./2013-14, विविध 2500-III/14

1. रूपसिंह , } पिस. खेत सिंह गौंड़,
2. संतोषसिंह, }
3. प्रतिपाल सिंह, }
4. भानसिंह तनय दिलीपसिंह समस्त निवासी
बरकोंहा तह. छतरपुर जिला-छतरपुर ------------आवेदकगण

बनाम

शासन मध्य प्रदेश । ------------अनावेदक

आवेदन-पत्र अंतर्गत धारा-32 म०प्र० - राजस्व संहिता-1959 के अंतर्गत
आवेदन पत्र आवेदकगणों द्वारा श्री मान् कलेक्टर महो. छतरपुर के समक्ष विशेष परिस्थितियों को दर्शित कर भूमि विक्रय की अनुमति पर कोई विचार न करने से श्री मान् स्वयं विक्रय की अनुमति दिये जाने बावत् ।

महोदय,

आवेदकगण श्री मान् के समक्ष सादर निम्न विनय प्रस्तुत करते है :-

1:- यह कि भूमि स्थित मौजा बरकोंहा की भूमि ख.नं. 122,123,124, 125,126,127,128,129,1286,1291/4,1304/4,1305,1303/2,1306, 296,297,298,307,328,1247,कुल किता-20 एकत्र रकवा 45.628 है. भूमि आवेदगणों के नाम राजस्व अभिलेख में भूमि स्वामी स्वत्व पर अंकित है।

2:- यह कि उपरोक्त लेख भूमि खसरा नम्बरानों में से मात्र खसरा नम्बर 1291/3, में से रकवा 2.000है. व 1291/4, में से रकवा 2.000है. एकत्र रकवा 4.000है. भूमि आवेदकगण उक्त भूमि उच्च शिक्षा वारिशों को दिलाने के उद्देश्य से शहर छतरपुर में विक्रय करके प्लाट खरीदकर मकान का निर्माणकराना चाहते है जिसकी अनुमति हेतु श्री मान् कलेक्टर महोदय, के यहाँ कई बार आवेदन प्रस्तुत किये गये परन्तु आवेदन पत्रों पर कोई विचार नहीं किया जा रहा है।

3:- यह कि उक्त भूमि विक्रय करने के बाद भी जीवन यापन करने हेतु पर्याप्त भूमि शेष बचती है। तथा उक्त भूमि आवेदकगणों की पैत्रिक पूर्वजों की भूमि है। परन्तु आवेदगण अनुसूचित जनजाति में आने के कारण श्री मान् से अनुमति चाहते है। जो नहीं दी जा रही है।